न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2016/00337

नवल किशोर आयु 68 वर्ष आत्मज श्री रामजीवन उर्फ रामकिशन जाति लश्करी निवासी ग्राम किशनपुरा तकिया नयागॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. मथुरालाल आत्मज श्री रामजीवन उर्फ रामकिशन जाति लश्करी ।
2. हजारी लाल आत्मज श्री रामजीवन (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 2/1. भैरूलाल आत्मज श्री हजारी लाल जाति लश्करी चमार निवासी किशनपुरा तकिया नयागॉव तहसील लाडपुरा ।
   - 2/2. संगीता पुत्री हजारी लाल पत्नी मनोज कुमार जाति लश्करी निवासी कुन्हाडी, कोटा ।
3. रामेश्वर आत्मज रामजीवन उर्फ रामकिशन जी जाति लश्करी निवासी ग्राम किशनपुरा तकिया नयागॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. गुरूदयाल सिंह आत्मज श्री हरिसिंह जाति सिक्ख निवासी रंगपुर रोड किशनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. किशनपाल सिंह आत्मज पन्ना लाल जाति राजपूत निवासी माचिस फैक्ट्री के पास डडवाडा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. रसप्रीत कौर पत्नी श्री इन्द्रराज सिंह जाति जटसिक्ख निवासी किशनपुरा रोड भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. श्रवण लाल आत्मज श्री रामजीवन (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 7/1. सोहन लाल आत्मज श्री श्रवण जाति लश्करी निवासी किशनपुरा तकिया नयागॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   - 7/2. सुनिता पुत्री श्रवण लाल पत्नी महावीर जाति लश्करी निवासी ग्राम ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
   - 7/3. मूर्ति पुत्री श्रवण लाल पत्नी दिलीप जाति लश्करी निवासी ग्राम लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   - 7/4. ज्योति पुत्री श्रवण लाल पत्नी राजकुमार जाति लश्करी सहरावदा तहसील मोडक ।
8. रमणी शंकर आत्मज श्री प्रभूलाल जाति लश्करी
9. धापू बाई बेवा श्री प्रभूलाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 29.01.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट एवं प्रतिवादी कम 7 लगायत 9 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गंगाईचा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में कुल 05 किता की 11.58 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादी कम 01 का 1/7 हिस्सा, वादी कम 02 का 1/7 हिस्सा, वादी कम 3 व 4 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी कम 1 व 2, 3 का कमशः 1/7 – 1/7 हिस्सा तथा वादी कम 1व 2 की मॉ वादी कम 03 की दादी तथा वादी कम 04 की दादी सास तथा प्रतिवादी कम 01 लगायत 3 की मॉ का 1/7 हिस्सा दर्ज था । मु0 जगन्नाथी जोजे रामकिशन का स्वर्गवास दिनांक 18.10.1997 को हो गया । वादग्रस्त आराजी में वादी कम 1 का 1/6 हिस्सा, वादी कम 02 का 1/6 हिस्सा, वादी कम 3 व 4 का 1/6 हिस्सा संयुक्त, प्रतिवादी कम 01 का 53/588 हिस्सा, प्रतिवादी कम 02 का 5/84 हिस्सा, प्रतिवादी कम 03 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी कम 04 का 9/98 हिस्सा, प्रतिवादी कम 05 का 1/14 हिस्सा, प्रतिवादी कम 06 का 9/98 हिस्सा बनता है और उक्त हिस्से अनुसार पक्षकारान संयुक्त रूप से अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि को पृथक से अपने खाते दर्ज करावे तथा पृथक से लगान कायम करावें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य उनके हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन किया जावे तथा विभाजन में प्राप्त भूमि को पृथक–पृथक खाते में दर्ज किया जावे तथा पृथक लगान कायम किया जावे । वादीगण को उनके हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि पर पृथक से कब्जा दिलाया जावे ।

4. प्रतिवादी कम 04 ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2016 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2016 से व्यथित होकर वादी कम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर यह साक्ष्य उपलब्ध था कि रामकिशन एवं रामजीवन एक ही व्यक्ति है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने जगन्नाथी बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र भी पेश किया था जिसमें जगन्नाथी बाई के पति का नाम जीवन ही लिखा हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय ने न तो तनकीयात कायम की और न ही पक्षकारों की साक्ष्य लेखबद्ध की । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट

स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर यह साक्ष्य उपलब्ध थी कि रामकिशन एवं रामजीवन एक ही व्यक्ति हैं फिर भी पत्रावली का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया गया है । जगन्नाथी बाई की मृत्यु का प्रमाण पत्र भी पेश किया गया है न तो तनकीयात कायम की गई हैं और न ही पक्षकारों की साक्ष्य ली गई है । सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब हेतु लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादीगण में से नवल किशोर और प्रतिवादीगण में से गुरूदयाल की उपस्थिति दर्ज की गई है न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही उनके द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है ।

10. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 22.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/1/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा